न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 58 / 2024

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 माणकराम पुत्र गोपूराम जाति कुम्हार निवासी फालकी तहसील रियाबडी जिला नागौर 2 चम्पालाल पुत्र शंकरलाल जाति कुम्हार निवास फालकी तहसील रियाबडी जिला नागौर।		1 तहसीलदार रियावडी। 2 सरंपच, ढगलाराम पुत्र भगनाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम पंचायत मुगदड तहसील रियाबडी, जिला नागौर। 3 हुक्माराम ग्राम सेवक मुगदडा तहसील रियाबडी। 4 गंगाविशन पुत्र बंशीलाल जाति खाती निवासी फालकी तहसील रियाबडी।

उपस्थिति–

1 श्री भंवरलाल खुडखुडिया अधिवक्ता, प्रार्थीगण की ओर से।
2 श्री ओमप्रकाश पूनिया, अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से।
3 श्री श्याम कुमार व्यास, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 04 की ओर से।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994

निर्णय

दिनांक 15.01.2026

1– प्रकरण इस प्रकार है कि निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुगदडा द्वारा पटटा संख्या 918–19 दिनांक 25.12.2010 जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गई। प्रार्थीगण की निगरानी दिनांक 10.12.2014 दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया, राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए, अप्रार्थी संख्या 02 व 03 बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहे तथा अप्रार्थी संख्या 04 की ओर से श्री श्याम कुमार व्यास, अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। प्रार्थीगण ने अपनी निगरानी के समर्थन में ग्राम पंचायत मुगदडा का पटटा संख्या 918–19 की फोटोप्रति, मिसल संख्या 24/2010 की फोटोप्रति, पटवारी रिपोर्ट की फोटोप्रति, तहसीलदार रियांबडी का लिखे पत्र की फोटोप्रति, तहसीलदार रियाबडी के प्रकरण संख्या 26/14 के फर्दअहकाम दिनांक 05.06.14 से 18.11.14 तक की फोटोप्रति, तहसीलदार रियाबडी को प्रस्तुत आवेदन की फोटोप्रति, न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश मेडता के प्रकरण संख्या 1085/2014 के निर्णय दिनांक 03.12.25 की फोटोप्रति तथा अप्रार्थी संख्या 04 ने सिविल न्यायाधीश (क ख), मेडता के प्रकरण संख्या 15/14 के फर्दअहकाम दिनांक 11.02.14 से 15.12.14 तक की फोटोप्रति, सिविल न्यायाधीश (क ख), मेडता में प्रस्तुत वाद की फोटोप्रति, सिविल न्यायाधीश मेडता में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति, सिविल न्यायाधीश में प्रस्तुत जवाब की फोटोप्रति, मौका रिपोर्ट की फोटोप्रति, बयान दिनांक 01.12.14 की फोटोप्रति, नोटिस की फोटोप्रति, बयान की फोटोप्रति, एसएचओ मेडता को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति, एफआईआर दिनांक 14.02.14 की फोटोप्रति, अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश मेडता के प्रकरण संख्या 30/15 में पारित आदेश दिनांक 17.12.15 की फोटोप्रति, मौका रिपोर्ट दिनांक 08.04.25 की फोटोप्रति पेश की। अधीनस्थ न्यायालय का रिकोर्ड मंगाया गया।

15/1/

अपर कलक्टर, नागौर

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी कि –

2(1)– हस्तगत पटटा सख्या 918 व 19 बाबत तैयार की गयी पत्रावली सर्वथा गलत, मौके की स्थिति के विपरीत व पटटा हेतु बने नियमों व कानूनी प्रावधानों के विपरीत तैयार किया होने से खारिज किये जाने योग्य है।

2(2)–ग्राम पंचायत मुगदडा द्वारा गंगाविशन के हक में जो पटटा जैर निगरानी जारी किया है वह जमीन ग्राम फालकी की खसरा नम्बर 209 की प्रतिबंधित सरकारी अंगौर भूमि है जिसका पटटा जारी करने का कानूनन ग्राम पंचायत को अधिकार नही है जिससे भी पटटा जैर निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

2(3)– ग्राम पंचायत द्वारा कथित पटटा जारी करने हेतु कायम की गयी पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत है कि दिनांक 10.11.2010 को पटटा हेतु आवेदन रेस्पोडेंट गंगाविशन द्वारा पेश करना बताया गया है तथा उसी दिन दिनांक 10.11.2010 को मौका निरीक्षण हेतु पंचों की कमेटी का गठन करने का आदेशिका में अंकन है तत्पश्चात दिनांक 20.11.2010 को मौका निरीक्षण रिपोर्ट पेश होना व आम गवाड, नोटिस बोर्ड व मकान पर चस्पा करने की आदेशिका दर्ज कर दी जबकि ऐसा कोई इश्तिकार चस्पा नहीं किया गया व दिनांक 21.12.2010 को पटटा जारी कर दिया। इतनी जल्दबाजी में बिना किसी प्रकार की वास्तविक प्रक्रिया अपनाये पटटा जारी किया गया है आदेशिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि सम्पूर्ण कार्यवाही जल्दबाजी में मिलावटी ढग से बाले बाले की गयी है। मौका निरीक्षण रिपोर्ट व नक्शा आदि सरासर गलत, मौके की स्थिति के विपरीत है। तहसीलदार स्वयं ने प्रथम दृष्टया रेस्पोडेंट गंगाविशन का मकान अंगौर भूमि पर बना होना माना है व पटवारी हल्का को अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश करने हेतु पांबद किया तथा ग्राम सेवक को पटटा पत्रावली की फोटो प्रति पेश करने हेतु लिखा गया है, जिससे भी उक्त फर्जी व अंगोर भूमि का होना साबित है इसलिए पटटा जारी निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।

2(4)– पटटे में जो पडौस दर्ज किये है वह भी सरासर गलत दर्ज किये। ग्राम पंचायत को केवल आबादी भूमि का विक्रय करने या पटटा जारी करने का अधिकार है सरकारी अंगौर की जमीन को विक्रय करने या पटटा जारी करने का अधिकार नहीं है जिससे भी पटटा निरस्त किये जाने योग्य है।

2(5)–ग्राम पंचायत ने पटटा जैर निगरानी गुपचुप में, बिना किसी विधिक प्रक्रिया के जारी किया गया है पटटा जारी करने से पूर्व सार्वजनिक आपतियां आमंत्रित नहीं की गयी तथा पटटा में मिसल संख्या तक दर्ज नही है जिससे प्रतीत होता है कि कूनन कायदो को ताक पर रख कर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जारी पटटा जैर निगरानी जारी किया है जो खारिज किये जाने योग्य है जिसका पंजीयन करने में भी तहसीलदार/उप पंजियक रियाबडी ने भारी कानूनी त्रुटि की है।

2(6)–ग्राम पंचायत ने अपने इस पटटा में जमीन आबादी की होना व आबादी जमीन पर रेस्पोडेंट गंगाविशन का 50 सालो से अधिक पुराना कब्जा होना व मकान आदि बना होना जाहिर किया है जबकि न तो आबादी क्षेत्र का यह पटटा है न गंगाविशन का इस पटटा में वर्णित भूमि पर पुराना कब्जा रहा है जिससे भी पटटा जैर निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

2(7)–मौजा मुगदडा की खसरा नम्बर 209 गैर मुमकिन अंगौर की सरकारी जमीन है जो सार्वजनिक हितार्थ उपयोग की होते हुए भी अनदेखी कर करोडो रूपयों की भूमि का गलत रूप से पटटा जारी कर राज्य सरकार को करोडो रूपये का नुकसान पहुंचाया है।

2(8)–माननीय उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा गैर मुमकिन औरण व अंगौर की खालसा भूमि पर जो भी कब्जा किया गया है उसको हटा कर वापिस पहले वाली स्थिति में रखने का आदेश दिया गया है। यदि किसी भी प्रकार का कब्जा है तो उसको तुरन्त प्रभाव से खाली किया जा रहा है।

3– वकील अप्रार्थी संख्या 04 ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करते समय राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियमों की पूर्णतः पालना की है। मौका रिपोर्ट दिनांक 08.04.2025 से स्पष्ट है कि उक्त पट्टा खसरा नम्बर 961 किस्म गैर मुमकिन आबादी पर जारी किया गया है तथा तहसीलदार रियाबडी की मौका रिपोर्ट दिनांक 17.11.2025 में भी उक्त पट्टा पटटा खसरा नम्बर 961 किस्म गैर मुमकिन आबादी पर जारी करना बताया है। निगरानीकर्ता ने विधि सम्मत पट्टे को नियम व विधि विरूद्ध होने के मिथ्या अभिवचन दर्ज किये है। ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा विधि अनुसार जारी किया है, जिससे निगरानी सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है तथा अपने कथन के समर्थन में डीएनजे राज 2020(1) पेज 199 से 201 तक नजीर पेश की।

अपर कलक्टर, नागौर

4– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुगदडा द्वारा पटटा संख्या 918–19 दिनांक 25.12.2010, को निरस्त किये जाने को लेकर प्रस्तुत की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 145 के अनुसार अप्रार्थी संख्या 04 द्वारा विधिवत ग्राम पंचायत में पट्टा बनाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है तथा आवेदन पत्र के साथ स्थल निरीक्षण का नक्शा भी प्रस्तुत किया गया है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 146 के अनुसार उक्त पट्टा बनाते समय ग्राम पंचायत ने तीन पंचों की नियुक्ति की गई है तथा पचों की निरीक्षण रिपोर्ट भी ग्राम पंचायत में प्रस्तुत की गई है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 148 के अनुसार ग्राम पंचायत ने विधिवत नोटिस जारी किया गया है तथा नोटिस की प्रति पर दो गवाहों के हस्ताक्षर भी है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157 (ख) के अनुसार रसीद संख्या 91 दिनांक 22.12.2010 द्वारा 200/– जमा कर पटटा जारी करने का विनिश्चय किया गया है। ग्राम पंचायत ने पत्रावली का भी निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संधारण किया गया है। पटवारी हल्का मुगदडा की मौका रिपोर्ट दिनांक 08.04.2025 तथा तहसीलदार रियाबडी की मौका रिपोर्ट दिनांक 17.11.2025 के अनुसार उक्त पटटा खसरा नम्बर 961 किस्म गैर मुमकिन आबादी पर जारी किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही पट्टा जारी किया जाना प्रतीत होता है, ऐसी स्थिति में आदेश जैर निगरानी में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

5– उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है।

6– निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर